स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004
Phone No. 0612-2675929, 2675672,Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

पत्रांक डी.11012/2/2011-790 दिनांक– 05/08/2011

निविदा आमंत्रित

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना 2011 के अभिलेख जो बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, फतुहा में संधारित है में से नजरी नक्शा, संक्षिप्त मकान सूची, प्रगणक सार, वर्किंग शीट को जिलावार/प्रखण्डवार/शहरवार/प्रगणक सं0 वार अलग कर 19" x 14" x 7.5" या19" x 14" x 14" के कार्टून बॉक्स में संधारित करने हेतु रजिस्टर्ड फर्म से लेटर हेड पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, बिहार स्टेट सहकारिता बैंक भवन, तृतीय तल, अशोक राजपथ, पटना–4 में दिनांक 19.08.2011 के 3.00 अपराह्न तक प्राप्त कराया जा सकता है। निविदा की शर्तें निम्नवत् है:–

1) निविदाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी से रजिस्टर्ड होना चाहिए।
2) निविदाकर्ता अपने PAN No. का उल्लेख निविदा में अवश्य करें।
3) निविदाकर्ता का नाम राज्य/केन्द्र/किसी भी स्वायत शासी ईकाई के काली सूची में नहीं होना चाहिए। इस आशय की घोषणा निविदाकर्ता द्वारा किया जाना होगा।
4) निविदाकर्ता को श्रम विभाग से रजिस्टर्ड होना चाहिए। निविदा के साथ श्रमिक लाईसेंस की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5) नियमानुसार भुगतेय राशि से आयकर की कटौती की जायेगी।
6) लगभग 200000 प्रगणक ब्लॉकों के लिए अभिलेख निकाले जाने हैं।
7) दर प्रति प्रगणक ब्लॉक उल्लेख करना होगा। दर में सभी प्रकार के व्यय शामिल होंगे। कोई भी व्यय/कर/दर अलग से देय नहीं होगा।
8) गत दो वर्षों के आयकर रिटर्न की छायाप्रति निविदा के साथ संधारित करना होगा।
9) कार्टून का व्यय भी निविदाकर्ता को वहन करना होगा।

अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्य से संबंधित न्यूनतम चार्ज एवं टैक्स दर्शाते हुए अपने लेटर पैड पर मुहरबंद लिफाफे में निविदा पत्र दिनांक 19.08.2011 के अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें, निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर प्राप्त नहीं होने के उपरान्त उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा प्राप्ति समय के उपरान्त उक्त तिथि के 4.00 बजे अपराह्न में निविदादाता या उनके प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा को आंशिक/पूर्णतः रद्द करने का अधिकार कार्यालय को सुरक्षित है।

5-8-2011

(रमेश प्रसाद)
सहायक निदेशक (का0 अ0)
जनगणना परिचालन, बिहार, पटना।